पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

अपील पत्र दिनांक:22.12.2023

संदर्भ सं0: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./ उ. क्षे.1/2272 /388 **दिनांक:** 03.01.2024

लोक प्राधिकारी का नाम **: पावरग्रिड उ. क्षे-1 मुख्यालय, एस. सी. ओ. Bay No.5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद -121002**

आदेश

आर. टी. आई प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2023 जो कि श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह निवासी बासखेडा खुर्द, काशीपुर, जिला उधमसिह नगर उत्तराखंड-244713 (मो.न.9927083662) के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/महाप्रबंधक (सी. टी. यू.) सौदामनी, सेक्टर-29, गुरुग्राम के कार्यालय में भेजा गया | पावरग्रिड आर. टी. आई. पोर्टल के माध्यम से सी. पी.आई.ओ., उ.क्षे.1 के कार्यालय में प्राप्त हुआ | आर. टी. आई. पत्र के माध्यम से प्रार्थी ने उत्तराखण्ड ट्रांसमिशन पावर कॉरपोरेशन (KTR) के अंतर्गत श्री-नगर-कोटेद्वार से काशीपुर रम्पुरा, जिला उधम सिंह नगर के लिए प्रस्तावित 400 के. वी. की पावर लाईन के संदर्भ मे जानकारी चाही है | इस अनुसार उ. क्षे.1 के सम्बंधित कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.पी.आई.ओ., उ. क्षे.1 ने पत्र संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2272/333 दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जानकारी दी की मांगी गई जानकारी पावरग्रिड से सम्बंधित नही है |

अब, श्री यशपाल सिंह ने सी.पी.आई.ओ., उ. क्षे.1 द्वारा प्रदान की गयी जानकारी से असंतुष्ट होने पर अपील पत्र दिनांक 22.12.2023 भेजा जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 26.12.2023 को प्राप्त हुआ है। अपील पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि सूचना न देना व तोड-मरोड कर पेश करना, आवेदक को गुमराह करना, सूचनाओं को उपलब्ध न कराना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है |

अब, अपीलकर्ता से प्राप्त अपील पत्र एवं अपील पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजो का अध्ययन के पश्चात यह बताना है कि सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे. प्रथम के द्वारा दी गयी जानकारी सही है क्योंकि आर. टी. आई प्रार्थना पत्र के अनुसार मांगी गई जानकारी पावरग्रिड से सम्बंधित नही है | अत: अपील पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो के अनुसार यह बताना चाहते है कि मांगी गई जानकारी निर्माणधीन एजेंसी मेसर्स मेघा इंजीनियर्स (मैसर्स के0आर0टी0एल0) से सम्बंधित है | चुंकी इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी CTUIL New Delhi है इसलिए सी. पी. आई.ओ. उ. क्षे.1 को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के आर. टी. आई. पत्र दिनांक 23.11.2023 को सी. पी. आई. ओ. CTUIL गुरुग्राम को स्थानानतरण कर दिया जाये और साथ-साथ प्रार्थी श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह को भी सूचित किया जाये | अत: आपका अपील पत्र दिनांक 22.12.2023 को बंद (dispose) किया जाता है।

[ए. के. मिश्रा]
कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे .। एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
इ-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह निवासी बासखेडा खुर्द, काशीपुर, जिला उधमसिह नगर उत्तराखंड-244713 (मो.न.9927083662): अपील पत्र दिनांक 22.12.2023 के संदर्भ में ।
2. श्री जी. पी. पयासी, मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना/अभियांत्रिकी) एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ.क्षे.I: सूचना एवं रिकार्ड हेतु।